[2018] 3 उम. नि. प. 283

बन्नारेड्डी और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

12 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 148, 341, 504 और 326/149 – अभियुक्तों द्वारा आहत व्यक्तियों पर हमला – आपसी दुश्मनी – आहत और अन्य साक्षियों के कथनों में विरोधाभास – दोषमुक्ति – जहां घटना के वृत्तांत के संबंध में आहत साक्षियों के साथ-साथ अन्य साक्षियों के कथनों में विरोधाभास हो, कतिपय साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों और आहत व्यक्तियों तथा अभियुक्तों के बीच पहले से चली आ रही दुश्मनी का तथ्य विद्यमान हो तथा आहत व्यक्तियों का घटना के पश्चात् का आचरण संदेहास्पद हो, तो मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने के कारण अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित है ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 29 अगस्त, 2008 को जब ग्रामोत्सव चल रहा था, तब अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी) ने अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) के साथ झगड़ा किया, जिसमें अभियुक्त सं. 2 ने अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) को समाप्त कर देने की धमकी दी, किंतु यह झगड़ा वहां मौजूद व्यक्तियों द्वारा शांत करा दिया गया । उसी दिन जब अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी), अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) और अभि. सा. 3 (लिंगारेड्डी) अपने मकान पर जा रहे थे, तब लगभग 9.30 बजे अपराह्न में अभियुक्त व्यक्ति लोहे की छड़ों, लाठियों आदि से लैस होकर उनके पास आए और उन्हें गालियां देने लगे तथा उन्हें घेर लिया । उसके पश्चात्, उन्होंने आहतों अर्थात् अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी), अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) और अभि. सा. 3 (लिंगारेड्डी) पर हमला करना आंरभ कर दिया । कई साक्षियों ने बीच-बचाव किया और तुरंत शिकायतकर्ता तथा अन्य आहतों का बचाव किया । क्योंकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए उन्हें नावलगुंड राजकीय अस्पताल और बाद में केआईएमएस अस्पताल ले जाया गया और उसके पश्चात् उन्हें सुश्रुत मल्टी स्पेशियल्टी नर्सिंग होम स्थानांतरित किया गया । शिकायतकर्ता अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) ने पुलिस को एक शिकायत दी जिसे तारीख 29

अगस्त, 2008 को अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143, 147, 148, 323, 324, 341, 307, 504 और 506 के अधीन 2008 के अपराध सं. 194 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । विचारण न्यायालय मौखिक और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । इसलिए, अभियुक्तों को उक्त अपराधों के लिए दोषमुक्त कर दिया । उसके पश्चात्, राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की, जिसमें उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटते हुए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148, 341, 504 और 326 के अधीन दोषसिद्ध किया । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के दोषसिद्धि के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विचारण न्यायालय ने हमला करने की घटना और अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी के संबंध में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा किए गए कथनों में विरोधाभास होने का ठीक ही उल्लेख किया है । ये विरोधाभास तात्विक हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के कथनों का परिशीलन के पश्चात् इस न्यायालय ने यह पाया कि घटना और विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विरोधाभास विद्यमान हैं । विचारण न्यायालय ने इस पहलू पर ठीक प्रकार से निष्कर्ष निकाला है । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि उपरोक्त साक्षियों ने यह कथन किया है कि उपरोक्त घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे जिन्होंने हमला रोकने के लिए बीच-बचाव किया था, किंतु अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) और अभि. सा. 13 (मंजूरेड्डी) के सिवाय अन्य साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । अन्य आहतों के अतिरिक्त, अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) उक्त घटना का एकमात्र साक्षी रह जाता है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि उन सभी के द्वारा किए गए कथन एक-दूसरे के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि कृत्य कारित करने से संबंधित तात्विक बिंदुओं पर ही उनमें भिन्नता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन कथनों का अवलंब लेना समुचित नहीं है । अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में एक अन्य बड़ा विरोधाभास, जिसका विचारण

न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, वह अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा) का कथन है, जिसने, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार, उक्त लड़ाई में बीच-बचाव किया था क्योंकि यह लड़ाई उसके मकान के पड़ोस में हो रही थी । किंतु, अभि. सा. 14 ने उपरोक्त वृत्तांत के बिल्कुल प्रतिकूल यह कथन किया कि वह उक्त तारीख को गांव से बाहर गया हुआ था और रात्रि में लगभग 11.00 बजे गांव वापस लौटने पर उसे उक्त घटना के बारे में पता चला था । यह उल्लेखनीय है कि आहत व्यक्तियों के कतिपय कृत्य अस्वाभाविक थे, जिनसे इस न्यायालय के मन में संदेह हो रहा है और इनमें विनिर्दिष्ट रूप से घटना के पश्चात् उनका व्यवहार है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उक्त घटना के पश्चात् आहत व्यक्तियों को राजकीय अस्पताल, नावलगुंड ले जाया गया था । चूंकि अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) को उसके दाएं कंधे पर साधारण क्षतियां पहुंची थीं और उसके संबंध में उसे किसी आगे के उपचार के लिए रेफर नहीं किया गया था । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को उनके सिर में क्षतियां पहुंचने के कारण आगे के उपचार के लिए केआईएमएस अस्पताल, हुबली रेफर किया गया था । किंतु विचारण न्यायालय ने यह पाया कि इस आशय के लिए आहत व्यक्तियों के भर्ती होने या उपचार से संबंधित कोई दस्तावेज या प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे । विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह उल्लेख किया है कि अभि. सा. 19 (डा. मिथुन सत्तुर) ने, जिसने सुविख्यात केआईएमएस अस्पताल में और बाद में सुश्रुत अस्पताल दोनों में आहत व्यक्तियों का उपचार किया था, यह स्वीकार किया कि केआईएमएस अस्पताल आहत व्यक्तियों का उपचार करने के लिए सुसज्जित है, तो भी यह बात अस्पष्ट है कि आहत व्यक्तियों को सुश्रुत अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए क्यों कहा गया था । इस बात को स्पष्ट करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । आहत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सीय साक्ष्यों से यह साबित होता है कि उन्हें कोई घातक क्षतियां नहीं पहुंची थी । ऐसी परिस्थितियों में, यह अति संदिग्ध बात है कि आहत, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) को, केआईएमएस अस्पताल से किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफर न करने के बावजूद सुश्रुत मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में क्यों स्थानांतरित किया गया था । विचारण न्यायालय ने तद्द्वारा यह पाया कि आहत अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य सृजित करने की कोशिश कर रहे थे । (पैरा 17, 18, 19 और 21)

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 149 के अधीन अभियुक्तों की दोषिता पर विचार करने पर अभियोजन पक्ष सभी अभियुक्त व्यक्तियों की अंतर्ग्रस्तता को सिद्ध करने में असफल रहा है । यद्यपि कतिपय अभियुक्तों, जैसे कि अभियुक्त सं. 1 (बन्नारेड्डी) और अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी), के स्पष्ट कृत्यों का आहत व्यक्तियों और अन्य साक्षियों के कथनों में उल्लेख किया गया है । किंतु शेष अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दोषिता को सिद्ध करने के लिए उनकी आपराधिक मनःस्थिति या आपराधिक कृत्य होना नहीं समझा जा सकता है । विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि सामग्री की बरामदगी के संबंध में मज़हर साक्षियों द्वारा किए गए कथनों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वे पक्षद्रोही हो गए हैं । यहां तक कि रक्त से सन्नी कीचड़ की बरामदगी भी इस तथ्य पर विचार करते हुए संदिग्ध प्रतीत होती है कि घटना की कथित तारीख को स्वीकृत रूप से बूंदाबांदी हो रही थी और हजारों श्रद्धालु मेला देखने आए हुए थे । ऐसी परिस्थितियों में, यह बात अति असंभाव्य है कि रक्त के नमूने अगले दिन एकत्रित किए जा सके होंगे । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 3 के कथन का अवलंब लिया है, जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया है कि शेष अभियुक्त क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को उन पर हमला करने में सहायता करने के लिए आयुधों से लैस अभियुक्त व्यक्तियों के पास खींच कर ला रहे थे । यह अभिकथन बहुत ही व्यापक है और अस्पष्ट रीति में किया गया है और किसी अन्य साक्ष्य द्वारा इसका समर्थन नहीं होता है । अभियुक्त व्यक्तियों की आपराधिकता को साबित करने के लिए एकमात्र रूप से आहत व्यक्तियों के साक्ष्य का अवलंब लेना समुचित नहीं होगा । इसलिए, विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि जब इन अभियुक्तों को किसी प्रत्यक्ष कृत्य के साथ सहयुक्त नहीं किया जा सका है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू नहीं होगी । प्रस्तुत मामले में, जब घटना के बारे में तथ्यों और अभियुक्तों की भूमिका को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया जा सका है, तो चाहे घटना के पीछे हेतु चाहरदिवारी के संबंध में विवाद हो या राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता, यह बात असंगत हो जाती है । उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहा है कि अभिग्रहण पंचनामा के पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । यद्यपि अन्वेषक अधिकारी ने आयुध अभिगृहीत किए थे और आहत व्यक्तियों तथा कतिपय साक्षियों द्वारा उनकी शनाख्त की गई थी, तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभि. सा. 1

और अभि. सा. 13 को छोड़कर सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । यद्यपि अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) ने अपनी प्रति-प्रतीक्षा में यह कथन किया कि वह तात्विक वस्तु सं. 1 और 2 में के आयुधों की शनाख्त कर सकता है क्योंकि उसने उन्हें देखा था, किंतु इस साक्षी ने स्वयं अपने कथन का यह कहते हुए खंडन किया कि वह अपराध में प्रयुक्त आयुधों की कोई विशेष विशिष्टता नहीं बता सकता है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 13 ने भी इन्हीं आयुधों की शनाख्त हमले में प्रयुक्त आयुधों के रूप में की थी । किंतु अभि. सा. 13 की अभि. सा. 3 के साथ नातेदारी होने की बात पर विचार करते हुए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अभि. सा. 13 एक हितबद्ध साक्षी प्रतीत होता है । ऐसी परिस्थितियों में, जहां पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों, वहां अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए इन आयुधों की बरामदगी का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है । इसके अतिरिक्त, हमें रक्त के नमूने एकत्रित करने के बारे में भी संदेह है, विशेष रूप से जब यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घटना एक किचड़ वाली सड़क पर तब घटी थी जब सारे समय बूंदाबांदी होती रही थी और इसके अतिरिक्त गांव में मेले में उपस्थित हजारों श्रद्धालु मौजूद थे । ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रक्त के नमूने एकत्रित करने की बात असंभाव्य प्रतीत होती है । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहा है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय को साक्ष्यों का समग्र रूप में पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जब विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई गंभीर कमी विद्यमान नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने का कोई न्यायौचित्य नहीं है, विशेष रूप से जब अभियोजन का पक्षकथन कई विरोधाभासों और कमियों से ग्रस्त है । अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिका और अंतर्ग्रस्तता के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट प्रकथन को साबित नहीं किया जा सका है । (पैरा 22, 23, 24, 26 और 27)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 2 एस. सी. सी. 490 : **रबिन्दर कुमार पाल** उर्फ **दारा सिंह** बनाम **भारत गणराज्य** ;	12

[2008] (2008) 11 एस. सी. सी. 186 :
संभाजी हिंदूराव देशमुख और अन्य बनाम
महाराष्ट्र राज्य । 11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 382.

2014 की दांडिक अपील सं. 100108 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ के तारीख 29 नवम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री एच. एन. नागमोहन दास, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सी. एम. अंगाडी, बी. वी. सोमापुर और रामेश्वर प्रसाद गोयल

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री जोसफ अरिस्टोटल एस., आशीष यादव, एन. डी. बी. राजू, (सुश्री) कृष्णा बिपिन और उदय दूबे

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

न्या. रमना – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील विशेष इजाजत लेकर 2014 की दांडिक अपील सं. 100108 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ द्वारा तारीख 29 नवम्बर, 2017 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

3. अपीलार्थियों को आक्षेपित निर्णय द्वारा निम्नलिखित रीति में दोषसिद्ध किया गया था –

(i) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 के अधीन 18 माह का साधारण कारावास भुगतने और 3,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया है तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 341 के अधीन पंद्रह दिन की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और 200/- रुपए का जुर्माना

अधिरोपित किया गया है तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें एक सप्ताह की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

(iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 504 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें पंद्रह दिन की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

(iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 326 के अधीन प्रत्येक अभियुक्त को चार वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतने का भी दंडादेश दिया गया है और वे 6,000/- रुपए के जुर्माने का भी संदाय करेंगे तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें दो माह की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा ।

4. मामले के गुणागुण पर विचार करने और इसका विश्लेषण करने से पूर्व हमें अभियोजन के पक्षकथन को संक्षेप में निर्दिष्ट करना होगा । तारीख 29 अगस्त, 2008 को जब ग्रामोत्सव चल रहा था, अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी) ने अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) के साथ झगड़ा किया, जिसमें अभियुक्त सं. 2 ने अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) को समाप्त कर देने की धमकी दी, किंतु यह झगड़ा वहां मौजूद व्यक्तियों द्वारा शांत करा दिया गया । उसी दिन जब अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी), अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) और अभि. सा. 3 (लिंगारेड्डी) अपने मकान पर जा रहे थे, तब लगभग 9.30 बजे अपराह्न में अभियुक्त व्यक्ति लोहे की छड़ों, लाठियों आदि से लैस होकर उनके पास आए और उन्हें गालियां देने लगे तथा उन्हें घेर लिया । उसके पश्चात्, उन्होंने आहतों अर्थात् अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी), अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) और अभि. सा. 3 (लिंगारेड्डी) पर हमला करना आंरभ कर दिया । कई साक्षियों ने बीच-बचाव किया और तुरंत शिकायतकर्ता तथा अन्य आहतों का बचाव किया । क्योंकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए उन्हें नावलगुंड राजकीय अस्पताल और बाद में केआईएमएस अस्पताल ले जाया गया और उसके पश्चात् उन्हें सुश्रुत मल्टी स्पेशियलटी नर्सिंग होम स्थानांतरित किया गया ।

5. शिकायतकर्ता अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) ने पुलिस को एक शिकायत दी जिसे तारीख 29 अगस्त, 2008 को अभियुक्तों के विरुद्ध

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143, 147, 148, 323, 324, 341, 307, 504 और 506 के अधीन 2008 के अपराध सं. 194 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । उसके पश्चात्, तारीख 30 अगस्त, 2008 को सवेरे अभि. सा. 6 (देवारेड्डी) और अभि. सा. (फकीरारेड्डी) की मौजूदगी में अभियुक्त-अपीलार्थी (बन्नारेड्डी) के कब्जे से लाठियां और लोहे की छड़ें बरामद की गईं । उसी दिन अभियुक्त-अपीलार्थी सं. 1 के कब्जे से पंच साक्षियों की मौजूदगी में रक्तरंजित वस्त्र बरामद किए गए । अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 की मौजूदगी में क्षतिग्रस्त लिंगारेड्डी के कब्जे से रक्तरंजित वस्त्र बरामद किए गए । स्थल मज़हर किया गया और मज़हर साक्षियों की मौजूदगी में रक्त से सन्नी मिट्टी के नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिए एकत्रित किए गए ।

6. विचारण न्यायालय मौखिक और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् तारीख 18 जनवरी, 2014 के निर्णय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । इसलिए, अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143, 147, 148, 341, 504 और 307 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त कर दिया ।

7. उसके पश्चात्, राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 2014 की दांडिक अपील सं. 100108 फाइल की, जिसमें उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटते हुए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148, 341, 504 और 326 के अधीन दोषसिद्ध किया । इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थियों ने दोषसिद्धि के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में समावेदन किया है ।

8. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने हमारे समक्ष यह दलील दी कि अभियोजन का पक्षकथन विरोधाभासों से भरा पड़ा है और अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य अत्यधिक विसंगत है तथा दोषमुक्ति के आदेश को उलटने वाला उच्च न्यायालय का आदेश असंधार्य है । विद्वान् काउंसेल ने हमें पक्षकारों के बीच हुए एक समझौते के विद्यमान होने के बारे में भी अवगत कराया, किंतु विधि के अधीन इस समझौते को प्रवृत्त करना और अपराध का शमन करना संभव नहीं है

क्योंकि आरोपित अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन शमनीय नहीं हैं ।

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया ।

10. दोनों काउंसेलों को सुना । चूंकि अभिकथित अपराध शमनीय नहीं हैं, इसलिए इस तथ्य के होते हुए कि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है, हम मामले पर गुणागुण के आधार पर विचार करेंगे ।

11. इससे पूर्व कि हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष का परिशीलन करने के लिए अग्रसर हों, उच्च न्यायालय की दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप करने की शक्ति और अधिकारिता की चर्चा करना सुसंगत है । विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के ऐसे सकारण आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् पारित किया गया हो । उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए परिणामों और निष्कर्षों को यथोचित श्रेय देना चाहिए, जब तक स्वयं साक्ष्य में ऐसे प्रबल और आबद्धकारी कारण विद्यमान न हों जिनसे निष्कर्षों पर ही विश्वास न किया जा सकता हो । इस सिद्धांत को **संभाजी हिंदूराव देशमुख और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में के पैरा 13 में और अधिक स्पष्ट किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि :–

> ".....उच्च न्यायालय दोषमुक्तियों के विरुद्ध अपीलों में केवल वहां हस्तक्षेप करेगा, जहां विचारण न्यायालय ने तात्विक तथ्यों की गलत अवधारणा की है या साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन करने में असफल रहा है । यदि अभिलेख पर के साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से दो मत संभव हों जिनमें से एक अभियुक्त के पक्ष में हो और एक अभियुक्त के विरुद्ध हो, तो उच्च न्यायालय से यह प्रत्याशा नहीं की जाती है कि वह दोषमुक्ति को केवल इस कारण उलट दे कि यदि उसने विचारण किया होता तो वह अभियुक्त के विरुद्ध मत को अपनाता । जब तथ्य यह हो कि दो मत संभव हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है और परिणामस्वरूप अभियुक्त संदेह

---

[1] (2008) 11 एस. सी. सी. 186.

के फायदे का हकदार है ।"

12. इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि दोषमुक्त किए गए अभियुक्त के विरुद्ध निर्दोषिता की उपधारणा उसके पक्ष में निर्णय द्वारा और अधिक सुदृढ़, पुनःअभिपुष्ट और मजबूत हो जाती है । (**रबिन्दर कुमार पाल** उर्फ **दारा सिंह** बनाम **भारत गणराज्य**[1] वाले मामले का पैरा 94 देखें) ।

13. उपरोक्त सुस्थिर सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम साक्ष्य की यह परीक्षा और विश्लेषण करने के लिए अग्रसर होंगे कि क्या विचारण न्यायालय के आदेश में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायोचित है या नहीं ।

14. प्रथमतः, कतिपय साक्षियों के कथनों पर दृष्टिपात करना समुचित होगा ।

15. अभि. सा. 1, सिद्दप्पा डोडामणि ने यह कथन किया कि उक्त घटना की तारीख को जब वह मंदिर के नजदीक था, तब उसने अभियुक्त व्यक्तियों को छड़ों और लाठियों से लैस होकर आहतों के मकान की ओर जाते हुए देखा । इसलिए वह उत्सुकतावश उनके पीछे-पीछे गया और देखा कि अभियुक्त आहत व्यक्तियों को गालियां दे रहे थे । उक्त झगड़े के दौरान अभियुक्त सं. 1 ने संजीवरेड्डी पर उसके कंधों और बाईं टांग पर लाठी से हमला किया और अभियुक्त सं. 7 (रामप्पा) ने लाठी से उसके शरीर पर प्रहार करके उस पर हमला किया । अभियुक्त सं. 2 (धर्मरेड्डी) और अभियुक्त सं. 8 (वेंकारेड्डी) ने लोहे की छड़ से अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) पर उसके बाएं कंधे और बाएं हाथ पर हमला किया । यह भी कथन किया गया कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने भी आहतों पर हमला किया । उसके पश्चात् उसने अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा), अभि. सा. 15 (सुनील), अभि. सा. 16 (याल्लप्पा), अभि. सा. 4 (शिवारेड्डी), अभि. सा. 13 (मंजूररेड्डी) और अभि. सा. 6 (देवरेड्डी) के साथ आहतों को बचाने के लिए बीच-बचाव किया । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभि. सा. 1 ने अपनी प्रति-परीक्षा के दौरान अपनी मुख्य-परीक्षा में किए गए उपरोक्त कथनों के प्रतिकूल कथन किया है ।

16. आहत अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) ने यह कथन किया कि तारीख 29 अगस्त, 2008 को अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी) ने सायंकाल में लगभग 5.00 बजे हनुमान मंदिर के निकट उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, किंतु अभि. सा. 4 (शिवारेड्डी) और अभि.

---

[1] (2011) 2 एस. सी. सी. 490.

सा. 16 (येल्लप्पा) के बीच-बचाव से झगड़ा शांत हो गया । किंतु पुनः 9.30 बजे अपराह्न में उक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा) के मकान के निकट आहतों को पकड़ लिया और पक्षकारों के बीच लंबित विवाद को लेकर आहतों के साथ गाली-गलौज करने लगे । उसके पश्चात्, अभियुक्त सं. 9 (मल्लारेड्डी) ने शिकायतकर्ता-अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) पर, न कि अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) पर, हमला किया । अभियुक्त सं. 1 (बन्नारेड्डी) ने भी संजीवरेड्डी पर उसकी बाईं हथेली पर हमला किया । अभियुक्त सं. 7 (रामप्पा) ने लाठी से संजीवरेड्डी पर उसके सिर और शरीर के अन्य अंगों पर हमला किया । अभियुक्त सं. 3 (हनामरेड्डी) ने एक लोहे की छड़ से लिंगारेड्डी पर उसके हाथों और सिर पर हमला किया । अन्य अभियुक्त व्यक्ति आहतों को उन अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की ओर खींच रहे थे जो लाठियों से लैस थे और उन्होंने उसके पश्चात् आहतों पर उनके सिर और शरीर पर हमला किया । अभियुक्त सं. 1 (बन्नारेड्डी) ने लोहे की छड़ से संजीवरेड्डी पर उसके बाएं हाथ और सिर पर हमला किया । अभि. सा. 11 (मक्तुमसाब), अभि. सा. 16 (येल्लप्पा हलावर), अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा), अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) अन्य व्यक्तियों के साथ उनके बचाव में आए । उसने (अभि. सा. 2) यह भी कथन किया कि चूंकि आहतों को क्षतियां पहुंची थी, इसलिए उसका भाई वेंकटरेड्डी उन्हें उपचार के लिए नावलगुंड सामान्य अस्पताल लेकर गया, उसके पश्चात् उन्हें केआईएमएस अस्पताल स्थानांतरित किया गया और वहां से छुट्टी होने के पश्चात् उन्हें सुश्रुत अस्पताल में भर्ती किया गया ।

17. विचारण न्यायालय ने हमला करने की घटना और अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी के संबंध में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा किए गए कथनों में विरोधाभास होने का ठीक ही उल्लेख किया है । ये विरोधाभास तात्विक हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है ।

18. इसी प्रकार, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के कथनों का परिशीलन के पश्चात् हमने यह पाया कि घटना और विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विरोधाभास विद्यमान हैं । विचारण न्यायालय ने इस पहलू पर ठीक प्रकार से निष्कर्ष निकाला है । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि उपरोक्त साक्षियों ने यह कथन किया है कि उपरोक्त घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे जिन्होंने हमला रोकने के लिए बीच-बचाव किया था, किंतु अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) और अभि. सा. 13 (मंजूरेड्डी) के सिवाय अन्य साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे ।

अन्य आहतों के अतिरिक्त, अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) उक्त घटना का एकमात्र साक्षी रह जाता है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि उन सभी के द्वारा किए गए कथन एक-दूसरे के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि कृत्य कारित करने से संबंधित तात्विक बिंदुओं पर ही उनमें भिन्नता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन कथनों का अवलंब लेना समुचित नहीं है ।

19. अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में एक अन्य बड़ा विरोधाभास, जिसका विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, वह अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा) का कथन है, जिसने, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार, उक्त लड़ाई में बीच-बचाव किया था क्योंकि यह लड़ाई उसके मकान के पड़ोस में हो रही थी । किंतु, अभि. सा. 14 ने उपरोक्त वृत्तांत के बिल्कुल प्रतिकूल यह कथन किया कि वह उक्त तारीख को गांव से बाहर गया हुआ था और रात्रि में लगभग 11.00 बजे गांव वापस लौटने पर उसे उक्त घटना के बारे में पता चला था ।

20. यद्यपि हेतु की बात प्रत्यक्ष साक्ष्य की मौजूदगी में असंगत हो जाती है, तथापि, अभियोजन पक्ष ने यह निवेदन किया कि अभियुक्त और आहत अलग-अलग राजनैतिक दलों के हैं और हमले के पीछे हेतु राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता हो सकती है । यद्यपि आहत अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा), जो घटना के समय पंचायत का अध्यक्ष था, के अनुयायी हैं, किंतु आश्चर्यजनक रूप से उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों और शिकायतकर्ता-आहतों के बीच भूमि की चाहरदिवारी के संबंध में पहले से दुश्मनी थी । यह विवाद पिछले 10-15 वर्षों से चला आ रहा था, जिसे अन्य ग्रामवासियों के मध्यक्षेप से भी नहीं सुलझाया जा सका था ।

21. यह उल्लेखनीय है कि आहत व्यक्तियों के कतिपय कृत्य अस्वाभाविक थे, जिनसे हमारे मन में संदेह हो रहा है और इनमें विनिर्दिष्ट रूप से घटना के पश्चात् उनका व्यवहार है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उक्त घटना के पश्चात् आहत व्यक्तियों को राजकीय अस्पताल, नावलगुंड ले जाया गया था । चूंकि अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) को उसके दाएं कंधे पर साधारण क्षतियां पहुंची थी और उसके संबंध में उसे किसी आगे के उपचार के लिए रेफर नहीं किया गया था । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को उनके सिर में क्षतियां पहुंचने के कारण आगे के उपचार के लिए केआईएमएस अस्पताल, हुबली रेफर किया गया था । किंतु विचारण

न्यायालय ने यह पाया कि इस आशय के लिए आहत व्यक्तियों के भर्ती होने या उपचार से संबंधित कोई दस्तावेज या प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे । विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह उल्लेख किया है कि अभि. सा. 19 (डा. मिथुन सत्तुर) ने, जिसने सुविख्यात केआईएमएस अस्पताल में और बाद में सुश्रुत अस्पताल दोनों में आहत व्यक्तियों का उपचार किया था, यह स्वीकार किया कि केआईएमएस अस्पताल आहत व्यक्तियों का उपचार करने के लिए सुसज्जित है, तो भी यह बात अस्पष्ट है कि आहत व्यक्तियों को सुश्रुत अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए क्यों कहा गया था । इस बात को स्पष्ट करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । आहत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सीय साक्ष्यों से यह साबित होता है कि उन्हें कोई घातक क्षतियां नहीं पहुंची थी । ऐसी परिस्थितियों में, यह अति संदिग्ध बात है कि आहत, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) को, केआईएमएस अस्पताल से किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफर न करने के बावजूद सुश्रुत मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में क्यों स्थानांतरित किया गया था । विचारण न्यायालय ने तद्द्वारा यह पाया कि आहत अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य सृजित करने की कोशिश कर रहे थे ।

22. इसके बाद, धारा 149 के अधीन अभियुक्तों की दोषिता पर विचार करते हैं । अभियोजन पक्ष सभी अभियुक्त व्यक्तियों की अंतर्ग्रस्तता को सिद्ध करने में असफल रहा है । यद्यपि कतिपय अभियुक्तों, जैसे कि अभियुक्त सं. 1 (बन्नारेड्डी) और अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी), के स्पष्ट कृत्यों का आहत व्यक्तियों और अन्य साक्षियों के कथनों में उल्लेख किया गया है । किंतु शेष अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दोषिता को सिद्ध करने के लिए उनकी आपराधिक मनःस्थिति या आपराधिक कृत्य होना नहीं समझा जा सकता है ।

23. विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि सामग्री की बरामदगी के संबंध में मज़हर साक्षियों द्वारा किए गए कथनों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वे पक्षद्रोही हो गए हैं । यहां तक कि रक्त से सन्नी किचड़ की बरामदगी भी इस तथ्य पर विचार करते हुए संदिग्ध प्रतीत होती है कि घटना की कथित तारीख को स्वीकृत रूप से बूंदाबांदी हो रही थी और हजारों श्रद्धालु मेला देखने आए हुए थे । ऐसी परिस्थितियों में, यह बात अति असंभाव्य है कि रक्त के नमूने अगले दिन एकत्रित किए जा सके होंगे ।

24. उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 3 के कथन का अवलंब लिया है, जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया है कि शेष अभियुक्त क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को उन पर हमला करने में सहायता करने के लिए आयुधों से लैस अभियुक्त व्यक्तियों के पास खींच कर ला रहे थे । यह अभिकथन बहुत ही व्यापक है और अस्पष्ट रीति में किया गया है और किसी अन्य साक्ष्य द्वारा इसका समर्थन नहीं होता है । अभियुक्त व्यक्तियों की आपराधिकता को साबित करने के लिए एकमात्र रूप से आहत व्यक्तियों के साक्ष्य का अवलंब लेना समुचित नहीं होगा । इसलिए, विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि जब इन अभियुक्तों को किसी प्रत्यक्ष कृत्य के साथ सहयुक्त नहीं किया जा सका है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू नहीं होगी ।

25. उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहा है कि अभिग्रहण पंचनामा के पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । यद्यपि अन्वेषक अधिकारी ने आयुध अभिगृहीत किए थे और आहत व्यक्तियों तथा कतिपय साक्षियों द्वारा उनकी शनाख्त की गई थी, तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 13 को छोड़कर सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । यद्यपि अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) ने अपनी प्रति-प्रतीक्षा में यह कथन किया कि वह तात्विक वस्तु सं. 1 और 2 में के आयुधों की शनाख्त कर सकता है क्योंकि उसने उन्हें देखा था, किंतु इस साक्षी ने स्वयं अपने कथन का यह कहते हुए खंडन किया कि वह अपराध में प्रयुक्त आयुधों की कोई विशेष विशिष्टता नहीं बता सकता है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 13 ने भी इन्हीं आयुधों की शनाख्त हमले में प्रयुक्त आयुधों के रूप में की थी । किंतु अभि. सा. 13 की अभि. सा. 3 के साथ नातेदारी होने की बात पर विचार करते हुए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अभि. सा. 13 एक हितबद्ध साक्षी प्रतीत होता है । ऐसी परिस्थितियों में, जहां पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों, वहां अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए इन आयुधों की बरामदगी का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है । इसके अतिरिक्त, हमें रक्त के नमूने एकत्रित करने के बारे में भी संदेह है, विशेष रूप से जब यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घटना एक किचड़ वाली सड़क पर तब घटी थी जब सारे समय बूंदाबांदी होती रही थी और इसके अतिरिक्त गांव में मेले में उपस्थित हजारों श्रद्धालु मौजूद थे । ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रक्त के नमूने एकत्रित करने की बात असंभाव्य प्रतीत होती है ।

26. प्रस्तुत मामले में, जब घटना के बारे में तथ्यों और अभियुक्तों की भूमिका को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया जा सका है, तो चाहे घटना के पीछे हेतु चाहरदिवारी के संबंध में विवाद हो या राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता, यह बात असंगत हो जाती है ।

27. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहा है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय को साक्ष्यों का समग्र रूप में पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जब विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई गंभीर कमी विद्यमान नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के पीछे कोई न्यायौचित्य नहीं है, विशेष रूप से जब अभियोजन का पक्षकथन कई विरोधाभासों और कमियों से ग्रस्त है । अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिका और अंतर्ग्रस्तता के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट प्रकथन को साबित नहीं किया जा सका है । इसके अतिरिक्त, स्वयं आहत-प्रत्यर्थियों के कतिपय कृत्य संदेहास्पद हैं, उदाहरण के लिए, उचित कारण के बिना बाद में अपने आप को एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कर लेना । हमारे ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि प्रत्यर्थियों ने पहले ही समझौता कर लिया है और इस सीमा तक एक समझौता विलेख निष्पादित किया है, यद्यपि यह समझौता हमारे निष्कर्ष का आधार नहीं है ।

28. अतः, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करते हैं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश की अभिपुष्टि करते हैं । अपीलार्थियों को तुरंत अभिरक्षा से उन्मोचित किया जाए ।

29. तद्नुसार, यह अपील मंजूर की जाती है । लंबित आवेदनों, यदि कोई हैं, का भी निपटारा हो जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.